वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 02.04.2025

वीडीए ने तीन बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को तीन बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। सारनाथ वार्ड के बराई चौबेपुर में बबलू सिंह की ओर से बिना ले आउट स्वीकृत 3 बीघे में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। जोनल अधिकारी प्रकाश की अगुवाई में प्रवर्तन दल की टीम ने पुलिस के सहयोग से इसे ध्वस्त कराया। साथ ही आम जनता से अपील की गई कि वीडीए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 02.04.2025

विकास शुल्क में 60 रुपये की बढ़ोतरी के साथ नई दरें लागू

माई सिटी रिपोर्टर

भवन निर्माण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई घोषणा

वाराणसी। वीडीए की ओर से विकास शुल्क में वृद्धि की गई है। पहले 1390 रुपये लगते थे, अब 60 रुपये बढ़ाकर 1450 रुपये देने होंगे। अंबार शुल्क 48 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है।

वीडीए की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होने वाली नई शुल्क संरचना की घोषणा की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुमोदन के अनुसार, 1 अप्रैल से विभिन्न श्रेणियों के मानचित्रों पर स्वीकृति / शमन के लिए लागू शुल्क प्रभावी किए गए। यह शुल्क योजना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तय की गई है। यह शुल्क संरचना विकास अनुज्ञा, भवन निर्माण अनुज्ञा, और संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावी और संतुलित बनाए रखने के लिए लागू की गई है। शुल्क की नई संरचना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और समय पर पूरा करने में मदद करेगी। सभी नागरिक, परियोजना संचालक और अन्य पक्ष इस नई शुल्क संरचना को ध्यान से समझें और परियोजनाओं में अनुपालन सुनिश्चित करें। वीडीए विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।

हिन्दुस्तान—दि0 02.04.2025

वीडीए: नक्शा पास कराने समेत कई शुल्क में वृद्धि

वाराणसी। वीडीए से भवन निर्माण का नक्शा पास कराना हो या अन्य कागजी कार्यवाही, अब लोगों की जेब ढीली होगी। शासन के निर्देश पर पहली अप्रैल से नई दरें लागू हो गई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी नए शुल्क ढांचे से मानचित्रों की स्वीकृति, शमन मानचित्र, भवन निर्माण शुल्क, मलबा शुल्क ज्यादा देना होगा।

एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए दस हजार रुपये, एक हेक्टेयर से ढाई हेक्टेयर तक 20 हजार रुपये, ढाई हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक ₹30000 रुपये विकास शुल्क लगेगा। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, बनवाने के लिए 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ग्रुप हाउसिंग के लिए ₹15 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।

वहीं बाह्य विकास शुल्क के रूप में 1025 प्रति वर्गमीटर लगेगा। भवन निर्माण के दौरान वीडीए की तकनीकी टीम भी मौके का निरीक्षण करती है। यह टीम स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण का मुआयना करती है। इसके लिए भी भवन स्वामी को 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय सहारा—दि0 02.04.2025

वीडीए में नई शुल्क संरचना की घोषणा

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होने वाली नयी शुल्क संरचना की घोषणा मंगलवार को की गई। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुमोदन के अनुसार एक अप्रैल से विभिन्न श्रेणियों के मानिचत्रों पर स्वीकृति एवं शमन के लिए लागू शुल्क तुरंत प्रभावी होंगे। यह शुल्क योजना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।

स्वीकृति व शमन के लिए लागू शुल्क तुरंत प्रभावी

यह शुल्क संरचना विकास अनुज्ञा, भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावी और संतुलित बनाए रखने के लिए लागू की गई है। शुल्क की यह नई संरचना भवन निर्माण एवं विकास प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित तथा समय पर पूरा करने में मदद करेगी। वीडीए उपाध्यक्ष ने इस नई शुल्क संरचना को ध्यान से समझने और अपनी परियोजनाओं में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

नवीनतम शुल्क संरचना में विकास अनुज्ञा (अनुमति) शुल्क (ले-आउट मानचित्र के लिए)

1.0 हेक्टेयर तक : 10,000 रुपये
1.0 से अधिक एवं 2.5 हेक्टेयर तक : 20,000 रुपये
2.5 से अधिक एवं 50 हेक्टेयर तक : 30,000 रुपये
5.0 हेक्टेयर से अधिक : 30,000 + अतिरिक्त 15,000 प्रत्येक 5.00 हेक्टेयर के लिए
भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क :
वाणिज्यिक/ शापिंग काम्प्लेक्स/ शापिंग मॉल, सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग : 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर
ग्रुप हाउसिंग : 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर
भूखंड आवासीय एवं अन्य उपयोग : 0.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर
निरीक्षण शुल्क :
भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए : 20 रुपये
विकास अनुज्ञा के लिए : 10 रुपये
अम्बार (मलबा) शुल्क : 0.50 पैसे
वाह्य विकास शुल्क :
सामान्य : 1,450 रुपये
वाराणसी क्षेत्र में: 1,025 रुपये
पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर : 1,025 रुपये

राष्ट्रीय सहारा–दि0 02.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण में नई शुल्क संरचना की घोषणा

वाराणसी । विकास प्राधिकरण (VDA) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होने वाली नयी शुल्क संरचना की घोषणा की गई है। *उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के अनुसार, दिनांक 28 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के तहत, 01 अप्रैल 2025 से विभिन्न श्रेणियों के मानचित्रों पर स्वीकृति / शमन हेतु लागू शुल्क तुरंत प्रभावी होंगे । यह शुल्क योजना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।

विकास अनुज्ञा शुल्क (ले-आउट मानचित्र हेतु)

1.0 हेक्टेयर तक 10,000 । 1.0 से अधिक एवं 2.5 हेक्टेयर तक- 20,000। 2.5 से अधिक एवं 50 हेक्टेयर तक- 30,000,

5.0 हेक्टेयर से अधिक- 30,000 + अतिरिक्त 15,000 प्रत्येक 5.00 हेक्टेयर के लिए,

भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क

वाणिज्यिक / शापिंग काम्प्लेक्स / शापिंग मॉल, सिनेमा / मल्टीप्लेक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग 30 प्रति वर्ग मीटर

ग्रुप हाउसिंग-15 प्रति वर्ग मीटर

भूखंड आवासीय एवं अन्य उपयोग 0.5 प्रति वर्ग मीटर, निरीक्षण शुल्क भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु 20, विकास अनुज्ञा हेतु ?10अम्बार शुल्क -0.50, बाह्य विकास शुल्क, सामान्य 1,450, वाराणसी क्षेत्र में 1,025, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर1,025 यह शुल्क संरचना विकास अनुज्ञा, भवन निर्माण अनुज्ञा, और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावी और संतुलित बनाए रखने के लिए लागू की गई है। शुल्क की यह नई संरचना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित तथा समय पर पूरा करने में मदद करेगी। हम सभी नागरिकों, परियोजना संचालकों और अन्य संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे इस नई शुल्क संरचना को ध्यान से समझें और अपनी परियोजनाओं में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। वाराणसी विकास प्राधिकरण विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 02.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी । विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी (वार्ड-सारनाथ, बबलू सिंह द्वारा मौजा-बराई, थाना-चौबेपुर, में पक्ष द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग (03 बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत धारा-27 एवं 28 को उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 01.04.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया (मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश,अवर अभियंता विनोद कुमार व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे (उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।